भारतीय खाद्य निगम और अन्य

बनाम

रमेश कुमार

8 अगस्त, 2007

(ए.के. माथुर और मार्कण्डेय काटजु, जे.जे.)

सेवा कानून:

भारतीय खाद्य निगम - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2002 - खंड viii(डी) - कर्मचारी ने 13.9.2004 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन 27.9.2004 को प्रस्ताव को रद्द कर दिया और इसे वापस ले लिया - विभाग दिनांक 09.11.2004 के आदेश द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया - उच्च न्यायालय ने विभाग के आदेश को रद्द कर दिया - निर्णित उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है - निरसन 27.9.2004 को पदधारी द्वारा किया गया था और उसकी सेवानिवृत्ति की पेशकश पर कार्रवाई

नहीं की जा सकती क्योंकि निगम द्वारा इस पर कार्यवाही करने से पहले ही उसने इसे रद्द कर दिया।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम रोमेश चंद्र कानोजी और अन्य, (2004) 2 एससीसी 651, पर भरोसा किया गया।

बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम ओ.पी. स्वर्णकार और अन्य, (2003) 2 एससीसी 721, प्रतिष्ठित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1611 सन् 2006।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ के 2005 के डब्ल्यू.पी. संख्या 6590 में दिनांक 6.9.2005 के निर्णय से।

साथ

सी.ए. क्रमांक 1612/2006 और 3458/2006

इंद्रा साहनी, अपीलकर्ताओं की ओर से।

एम. सी. ढींगरा, एम. ए. चिन्नासामी, वरिंदर कुमार शर्मा प्रतिवादी की ओर से।

एतद्द्वारा न्यायालय का आदेश दिया गया

आदेश

इन सभी अपीलों में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। तीनों मामलों में कानून के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए हम उन्हें एक आदेश से ही निस्तारित करते हैं। सी.ए. सं॰ 1611/2006 के प्रकरण में दिये गये तथ्यों पर विचार किया गया।

प्रतिवादी भारतीय खाद्य निगम के एक कर्मचारी ने 29.6.2002 को उनके द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना के अनुसरण में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 13.9.2006 को आवेदन किया था। उसने अपना प्रस्ताव रद्द कर दिया और 27.9.2004 को इसे वापस ले लिया, लेकिन वापस लेने के बावजूद, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनका प्रस्ताव 9.11.2004 को स्वीकार कर लिया गया। दिनांक 9.11.2004 के सेवानिवृत्ति के इस आदेश को प्रतिवादी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच ने गुरचरण सिंह बनाम एफसीआई के तहत दिए गए पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए

प्रतिवादी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 9.11.2004 के आदेश को रद्द कर दिया।

इसलिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से वर्तमान अपील।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। हमारे सामने संक्षिप्त प्रश्न यह है कि जब आवेदक ने इसे स्वीकार किए जाने से पहले ही वापसी के लिए आवेदन कर दिया है, तो क्या भारतीय खाद्य निगम अभी भी पदधारी पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश लागू कर सकता है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि योजना की शर्तों के खंड viii(डी) के अनुसार जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि पदधारी एक बार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध करता है, तो उसे इसे वापस लेने से रोका जाएगा, जिसका अर्थ है कि एक बार जब उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्ताव दे दिया और जब वापसी पूरी तरह से रोक दी गई है तो उसे अपना प्रस्ताव वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। खंड viii(डी) की बेहतर मूल्यांकन के लिए, नीचे दिए अनुसार इसे पढ़ा जाएः

"एक बार जब कोई कर्मचारी इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना आवेदन सक्षम प्राधिकारी को सौंप देता है, तो इसे अंतिम माना जाएगा और इसे वापस लेने के लिए कर्मचारी के पास कोई प्रावधान नहीं है। सक्षम प्राधिकारी नोटिस अवधि (3 महीने) के भीतर अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेगा और संबंधित एक कर्मचारी को इस की सूचना देगा।"

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसे ध्यान में रखते हुए एक बार प्रतिवादी ने 13.9.2004 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दिया है, वह 27.09.2004 को इसे रद्द नहीं कर सकता और उसके समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने (2003) 2 एससीसी 721 बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम ओ.पी. स्वर्णकार और अन्य में इस न्यायालय के फैसले पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। इसके विपरीत प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम रोमेश चंद्र कानोजी और अन्य जिसे (2004) 2 एससीसी 651 में रिपोर्ट किया गया, के फैसले की ओर ध्यान आकर्षित किया। ये दोनों फैसले तीन जजों

की बेंच के हैं और पहले दिए गए फैसले में ओ.पी. स्वर्णकार (सुप्रा) के मामले में माननीय न्यायमूर्ति सिन्हा एक पक्ष थे और वह स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम रोमेश चंद्र कानोजी (सुप्रा) के मामले में बाद के फैसले में भी एक पक्ष थे। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उद्धृत दोनों निर्णयों का अध्ययन किया है। ओ.पी. स्वर्णकार (सुप्रा) के मामले में, दो योजनाओं पर विचार किया गया; अर्थात्, एक भारतीय स्टेट बैंक योजना (संक्षेप में एसबीआईवीआरएस) और दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंकों में से। एसबीआईवीआरएस में एक शर्त थी कि जो व्यक्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश करता है वह केवल 15 दिनों के भीतर इसे रद्द कर सकता है, जबकि अन्य बैंकिंग योजना में प्रावधान अलग था, और हमारे सामने वाले मामले के समान है। ओपी स्वर्णकार (सुप्रा) में दोनों योजनाओं के बीच अंतर किया गया था। जहां तक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआईवीआरएस की योजना का सवाल है, वहां 15 दिनों की शर्त का उल्लेख किया गया था यानी कि पदधारी 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। यदि व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है तो प्रस्ताव पूरा हो जाता है। लेकिन जहां तक अन्य बैंकों के अन्य मामलों की बात है तो यह केवल इतना ही निर्धारित है कि एक बार पदधारी स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दे देता है तो उसे इसे रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, योजनाओं के बीच एक अंतर था जिसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम रोमेश चंद्र कानोजी (सुप्रा) के पैरा 6 में बाद के निर्णय द्वारा उचित रूप से समझाया गया है:-

> *"उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि एसबीआईवीआरएस के मामले में, जहां वापसी के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है, कर्मचारी को निर्दिष्ट समय के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग करना होगा; और राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में जहां वापसी का कोई प्रावधान नहीं था (और वास्तव में योजना वापसी पर रोक लगाती थी), बैंक द्वारा स्वीकृति से पहले वापसी की जानी चाहिए। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के संदर्भ में, कर्मचारी को एसबीआईवीआरएस के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापसी का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है।"*

इसलिए, अब स्थिति यह तय हो गई है कि वी.आर.एस. के मामले में भारतीय स्टेट बैंक की योजना में निरस्तीकरण के लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है, यदि पदधारी 15

दिन के भीतर अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है तो पदधारी द्वारा दिया गया प्रस्ताव उसके विरुद्ध नहीं माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उसने अपना प्रस्ताव निरस्त कर दिया है। अन्य बैंकों के मामले में यह शर्त है कि एक बार ऑफर देने के बाद इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर यदि प्रबंधन द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है तो पदधारी अभी भी प्रस्ताव वापस ले सकता है। अब खाद्य निगम की वर्तमान योजना को ध्यान में रखते हुए, पैरा 8 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पदधारी को इसे रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है और प्रबंधन तीन महीने के भीतर इस पर निर्णय लेगा। इसका मतलब है कि प्रबंधन के पास विचार करने और निर्णय लेने के लिए अभी भी तीन महीने का समय है कि मौजूदा व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर कार्य करना है या नहीं। लेकिन यदि पदधारी अपने प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले रद्द कर देता है तो उस स्थिति में, प्रस्ताव का निरसन पूरा हो जाता है और निगम उस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। वर्तमान धारा में एक और अतिरिक्त कारक है जो यह है कि प्रबंधन को तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। इसलिए, एक बार पदधारी द्वारा तीन महीने से पहले निरस्तीकरण कर दिया

जाता है तो उस स्थिति में निगम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव पर तब तक कार्यवाई नहीं कर सकता जब तक कि इसे वापस लेने से पहले स्वीकार नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि पदधारी ने 13.9.2004 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक प्रस्ताव दिया था और उसने 27.9.2007 को अपना प्रस्ताव रद्द कर दिया था, लेकिन 9.11.2004 को यानी उसके प्रस्ताव को रद्द करने के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, पदधारी ने अपना प्रस्ताव स्वीकार होने से पहले ही रद्द कर दिया है। अतः इस मामले में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही प्रतीत होता है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निरसन पदधारी द्वारा 27.9.2004 को किया गया था और उसकी सेवानिवृत्ति की पेशकश पर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि निगम द्वारा इस पर कार्रवाई करने से पहले ही उसने इसे रद्द कर दिया है। इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है। नतीजतन, तीनों अपीलें खारिज की जाती हैं लेकिन खर्चे के संबंध में कोई आदेश दिए बिना।

अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनिल आर्य (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।